# मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग

#### मंत्रालय

#### क्रमांक एफ 10-62/2016/ तैंतीस

भोपाल, दिनांक 30/12/2016

प्रति,

प्रबंध संचालक, म॰प्र॰ राज्य पर्यटन विकास निगम,

भोपाल (म॰प्र॰)।

- विषय:- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 6 के अंतर्गत पात्र पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत व्यय को परिभाषित करने, आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट निर्धारण तथा अनुदान स्वीकृति व वितरण प्रक्रिया तय करने बावत्।
- पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 6 में वर्णित पात्र पर्यटन परियोजनाओं में अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत निवेश से तात्पर्य उस व्यय से लिया जायेगा जो परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया गया हो। अत: निम्नानुसार मदों में कुल पूंजीगत व्यय को अनुदानों की गणना हेतु मान्य एवं अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है:-

### 2.1 मान्य पूंजीगत व्यय (मूल पूंजीगत व्यय)

- 2.1.1 परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन जो इकाई के स्वामित्व व प्रयोग में हों, इकाई के स्वामित्व की भूमि पर स्थित हों एवं जिनका इकाई के सुचारू संचालन हेतु निर्मित किया जाना आवश्यक हों
- 2.1.2 बाउंड्री वॉल
- 2.1.3 अंदरूनी सडकें, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार
- 2.1.4 स्विमिंग पूल
- 2.1.5 स्टोर
- 2.1.6 किचिन
- 2.1.7 जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)
- 2.1.8 बॉयलर रूम एवं चिमनी
- 2.1.9 वाय् एवं जल प्रदूषण उपचार हेत् स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि
- 2.1.10 सेंट्रलाईज एयर कंडिंशनिग सिस्टम, वॉटर हीटिंग सिस्टम
- 2.1.11 पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत पोल

- 2.1.12 डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपभोग हेत्)
- 2.1.13 दूरसंचार टॉवर (स्वयं के उपयोग हेत् स्वयं स्थापित)
- 2.1.14 इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाई लाईनिंग
- 2.1.15 स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क।
- 2.1.16 विभिन्न अनुमतियों एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट, पंजीयन शुल्क, स्टांप इयूटी, डायवर्शन शुल्क आदि
- 2.1.17 अग्नि-शमन संयंत्र/सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड
- 2.1.18 किचिन, लॉन्ड्री, हेल्थ क्लब, कनवेन्शन हॉल, एक्जीबिशन हॉल आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से स्थापित मशीनरी एवं संयंत्र जिन्हे अन्यत्र स्थानांतरित करना संभव न हो
- 2.1.19 प्ले एरिया एवं पार्क मे स्थापित स्थायी झूले, क्लाइम्बिंग वॉल व एम्यूजमेंट/ प्लेइंग स्ट्रक्चर, स्थाई टेंट आदि
- 2.1.20 ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/ टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेत् अतिआवश्यक हो
- 2.1.21 तकनीकी ज्ञान अर्जन (technical know how) शुल्क
- 2.1.22 कंसलटेन्सी चार्जेस
- 2.1.23 इंस्टालेशन चार्जेज ऑफ मशीनरी/ उपकरण/ सर्विसेज
- 2.1.24 संबंधित पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, खेल उपकरण, एसेसरीज, मेंटेनेंस एवं रिपेयरिंग वर्कशॉप आदि
- 2.1.25 विभाग द्वारा आवंटित भूमि को पहुंच मार्ग से जोडने हेतु बनाई गयी सड़क, विद्युत प्रदाय हेतु किया गया व्यय जिसमें सब-स्टेशन निर्माण सम्मिलित होगा, जल प्रदाय हेतु डाली पाइप लाइन, बनाई पानी की टंकी, जल-मल/ सीवेज निकासी हेतु डाली गयी पाइप लाइन/बनाये गये सिस्टम आदि कामन इंफास्ट्रक्चर (जन उपयोगी) पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश स्थापना व्यय सहित
- 2.1.26 पर्यटक आवासीय स्थाई टेंट
- 2.1.27 सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली
- 2.1.28 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

### 2.2 अनुदान हेतु अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय (अन्य पूंजीगत व्यय)

- 2.2.1 भूमि का मूल्य
- 2.2.2 साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लेंड स्केपिंग आदि
- 2.2.3 कार्यशील पूंजी।
- 2.2.4 प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय

- 2.2.5 सेकेण्ड हेंड मशीनरी
- 2.2.6 ब्याज का पूंजीकरण
- 2.2.7 ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टेंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो
- 2.2.8 उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो
- 2.2.9 लीज पर ली गयी संपत्तियाँ
- 2.2.10 फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिग्स, सजावटी वस्तुऍ, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया व्यय
- 2.2.11 ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो (टेन्ट को छोडकर)
- 2.2.12 व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दूकाने, आवास, आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका बनाया जाना इकाई के सुचारू संचालन हेत् आवश्यक न हो
- **2.3 कुल पूंजीगत व्यय-** उपरोक्त 2.1 एवं 2.2 अनुसार मदों पर पर्यटन परियोजना स्थापना हेत् किया गया पूंजीगत व्यय कुल पूंजीगत व्यय माना जायेगा।
- उपरोक्त के साथ ही अनुदान प्रक्रिया एवं पात्रता व पूंजीगत व्यय प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था नियत की जाती है:-
- 3.1 अनुदान का आन-लाइन/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इकाई द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्था/बैंक को किया जावेगा (यदि इकाई द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये ऋण लिया है)। यदि इकाई ने ऋण नही लिया है तो भुगतान सीधे इकाई द्वारा विर्निदिष्ट बैंक खाते में किया जावेगा।
- 3.2 यदि इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त किया गया है तो इसकी जानकारी इकाई को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को देनी होगी तथा इकाई को प्राप्त राशि घटाकर अनुदान की गणना की जायेगी। जानकारी छिपाये जाने की दशा में अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।
- 3.3 यदि कभी भी यह प्रमाणित होता है कि, आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा गलत जानकारी देकर अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान स्वीकृति निरस्त कर, प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली शासन के बकाया राजस्व की भांति की जायेगी। इस संबंध मे निर्णय लेने व कार्यवाही करने के लिए प्रबंध संचालक, म॰प्र॰ राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

- 3.4 ऐसे पूंजीगत व्यय को अनुदान गणना हेतु पात्र माना जायेगा, जो परियोजना के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ होने के दिनांक तक किया गया हो।
- 3.5 पूंजीगत व्यय के संबंध में इकाई को उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 2.1 एवं 2.2 में दर्शित मदों पर उपरोक्त कंडिका 3.3 की अवधि में किये गये व्यय के संबंध में मदवार व्यय सूची सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र मूल प्रति में निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट -1) में प्रस्तुत करना होगा।
- 3.6 पूंजीगत अनुदान की पात्रता निवेशकर्ता को होगी। लीज पर परिसंपत्तियां लेकर परियोजना संचालन करने वाली इकाई अनुदान की पात्रता नहीं रखेगी। तथापि निवेशकर्ता को स्वतंत्रता होगी की वह परियोजना का संचालन किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये।
- 3.7 अनुदान क्लेम हेतु आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- 3.8 अनुदान प्रकरण निराकरण एवं अनुदान वितरण हेतु संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
- 3.9 अनुदान प्रकरण निराकरण प्रक्रिया के पालन हेतु प्रारूप आदि निर्धारण व अन्य आवश्यक अनुदेश आदि जारी करने हेतु प्रबंध संचालक म०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

### संलग्न परिशिष्ट 1,2 एवं 3

### मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(हरि रंजन राव) सचिव मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

### पृ॰ क्रमांक एफ 10-62/2016/तैंतीस

### भोपाल, दिनांक 30/12/2016

- 1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. सचिव मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 3. समस्त संभागाय्क्त।
- 4. समस्त विभागाध्यक्ष।
- 5. आयुक्त, जनसंपर्क की ओर प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
- 6. समस्त कलेक्टर्स।

(भावना वालिम्बे) उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

### परिशिष्ट -1

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्राप्ति हेतु पात्र पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु किये गये पूंजीगत व्यय का चार्टड अकांउटेंट का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदक इकाई मेसर्स ...... द्वारा स्थान...... पर पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 6 अनुसार अनुदान हेतु पात्र परियोजना..... स्थापित की गयी है। इस परियोजना द्वारा दिनांक ...... से व्यावसायिक कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना में व्यावसायिक कार्य प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:-

क्र॰	पूंजीगत व्यय का मद	व्यय	राशि	रू. मे
1.	मूल पूंजीगत व्यय			
1.1	परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन जो इकाई के			
	स्वामित्व व प्रयोग में हो तथा इकाई के स्वामित्व की			
	भूमि पर स्थित हों।			
1.2	बाउंड्री वॉल			
1.3	अंदरूनी सडके, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार			
1.4	स्विमिंग पूल			
1.5	स्टोर			
1.6	किचिन			
1.7	जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस,			
	जल शोधन संयंत्र आदि)			
1.8	बॉयलर रूम एवं चिमनी			
1.9	वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र,			
	इंसीनरेटर आदि			
1.10	सेंट्रलाईज एयर कंडिंशनिग सिस्टम, वॉटर हीटिंग			
	सिस्टम			
1.11	पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत			
	पोल			
1.12	डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपभोग हेतु)			

1.13	दूरसंचार टॉवर (स्वयं के उपभोग हेतु स्वयं स्थापित)	
1.14	इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम	
	सप्लाई लाईनिंग	
1.15	स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं	
	इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क	
1.16	विभिन्न अनुमतियाँ एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने	
	के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट,	
	पंजीयन शुल्क, स्टांप इयूटी, डायवर्शन शुल्क आदि	
1.17	अग्नि-शमन संयंत्र, सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड	
1.18	किचिन, लॉन्ड्री, हेल्थ क्लब, कनवेन्शन हॉल,	
	एक्जीबिशन हॉल आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप	
	से स्थापित मशीनरी एवं संयंत्र जिन्हे अन्यत्र	
	स्थानांतरित करना संभव न हो	
1.19	प्ले एरिया एवं पार्क मे स्थापित स्थायी झूले,	
	क्लाइम्बिंग वॉल व एम्यूजमेंट/ प्लेइंग स्ट्रक्चर, स्थाई	
	टेंट आदि	
1.20	ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/ टूल-उपकरण	
	जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु	
	अति आवश्यक हो	
1.21	तकनीकी ज्ञान अर्जन (technical know how) शुल्क	
1.22	कंसलटेन्सी चार्जेस	
1.23	इंस्टालेशन चार्जेज ऑफ मशीनरी/ उपकरण/ सर्विसेज	
1.24	संबंधित पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार	
	स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन,	
	यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, खेल उपकरण, एसेसरीज,	
	मेंटेनेंस एवं रिपेयरिंग वर्कशॉप आदि	
1.25	विभाग द्वारा आवंटित भूमि को पहुंच मार्ग से जोडने	
	हेतु बनाई गयी सड़क, विद्युत प्रदाय हेतु किया गया	
	व्यय जिसमें सब-स्टेशन निर्माण सम्मिलित होगा, जल	
	प्रदाय हेतु डाली पाइप लाइन, बनाई पानी की टंकी,	
	जल-मल/ सीवेज निकासी हेतु डाली गयी पाइप	
	लाइन/बनाये गये सिस्टम आदि कामन इंफास्ट्रक्चर	
	(जन उपयोगी) पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश	
	स्थापना व्यय सहित	

1.26	पर्यटक आवासीय स्थाई टेंट			
1.27	सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली			
1.28	रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम			
	योग			
2.	अन्य पूंजीगत व्यय			
2.1	भूमि का मूल्य			
2.2	साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लेंड स्केपिंग आदि			
2.3	कार्यशील पूंजी			
2.4	प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय			
2.5	सेकेण्ड हेंड मशीनरी			
2.6	ब्याज का पूंजीकरण			
2.7	ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टेंकर			
	और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो।			
2.8	उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो			
2.9	लीज पर ली गयी संपत्तियाँ			
2.10	फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिग्स,			
	सजावटी वस्तुऍ, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो			
	एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं			
	फर्नीशिंग इत्यादि पर किया गया व्यय			
2.11	ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो			
	(टेन्ट को छोडकर)			
2.12	व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दूकाने, आवास,			
	आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न			
	लिए जा रहे हों तथा जिनका इकाई के संचालन में			
	उपयोग नहीं हो रहा है, पर किया गया व्यय			
	योग			
3.	कुल पूंजीगत व्यय बिंदु 1+2			
4.	पूंजी व्यवस्था			
4.1	बैंक/ वित्तीय संस्था का नाम एवं प्राप्त ऋण राशि			
4.2	स्वयं इकाई की अंशदान राशि			
4.3	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त (स्त्रोत सहित)			
	योग			

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र अनुसार व्यय इकाई के लेखों, लेजर, बैंक खातों से सत्यापित किया गया है। उपरोक्त मदवार व्यय की पृथक-पृथक सूची प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की गई है। व्यय उन्हीं मदों का प्रभावित किया गया है जिन पर वास्तवित व्यय किया जा चुका है व अधोसंरचना/निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने का चार्टड अकांउटेंट फर्म का नाम, पंजीयन दिनांक क्रं. एवं सदस्यता क्रं. यूनिक कोड नं. स्थान पता एवं सील

## परिशिष्ट-2

Annexure – 2

## **Application Form for Claiming Capital Subsidy**

[Under Clause 6 of Madhya Pradesh Tourism Policy 2016]

1	Name of Category of Tourism Project :-	
	(please see clause – 6)	
2	Brief description about project:- (Not more than 60 words)	
3	Name and style of Unit :-	
4	PAN number	
5	Complete Postal Address of Unit with Pin	
	Code, Telephone, Mobile No, Fax and Email Id	
	:-	
6	Name of the Promoters/ owners/ company	
	with a brief note on the business	
	antecedents:-	
	(Not more than 60 words)	
_	Name of legally authorized person on behalf	
7	of the unit to sign this application and subsidy	
	papers, Designation, Mobile number and	
	Email id :-	
8	Status of Owner/ Promoter	
0	a) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of	
	Association	
	b) If partnership, a copy of partnership Deed	
	and Certificate of Registration c) If proprietary concern, name and address	
	<ul> <li>c) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration</li> </ul>	
1	d) In case of legal entity other than above	
	a,b,c. Furnish the details and registration	
9	from competent authority. Registration number and date of establishment of	
	certified firm/company/or other legal entity.	
	Location of Unit with Postal address:-	
10	(with Place,Tahsil and District)	
	Detail of Site :-	
	a)Land Record – Ownership Documents,	
11	Approved Khasra Map, Area	
	b)Title – Owned/ Leased with copies of sale/	
	lease deed	
	Detail of project approvals :	
12	a) Date of the building permission and	
	name of appropriate authority:-	
	(Attach copies) b) Copy of the Map approved by the	
	concerned authority:-	
L	concerned dationey.	

	Details	of construction and installation of plant &	machinery	etc.
13		Area/Building Infrastructure detail	Numbers	Size/Capacity
	i	Total Area		
	ii	Total build-up area		
	iii	Open space area		
	iv	No of Floor		
	v	No of lettable Rooms		
	vi	No of Bed		
	Vii	Main Hall		
	Viii	Other Halls		
	ix	Meeting Rooms		
	x	Kitchen		
	xi	Restaurant		
	xii	Stores		
	Xiii	Swimming pool		
	Xiv	Parking		
	xv	Other infrastructure created which		
		necessary to run and operate the		
		project		
	xvi	Details of plant, machinery apparatus		
		installed in the unit, which is necessary		
		to run/ operate the project.		
	xvii	Details of common infrastructure road/		
		power/ water/savage etc created (if		
		the land is given by the department)		
	Capital Structure			
		Total capital cost incurred (as certified		
		by certified Engineer/valuer)		
		Total Project Cost (As certified by		
		certified CA) (In INR)		
		i) Cost of Land :-		
		ii) Cost on building/ other		
		construction:-		
		iii) Cost of machinery and other		
		components:-		
		iv) Other fixed assets:-		
		v) Working capital:-		
	Total :-			
	-	Financial arrangements (In INR)		
		<ul> <li>Loan from bank/financial Institution</li> </ul>		
		ii) Shelf/promoters contributions		
		iii) Name of bank/financial		
		institution		
	(Snecif	y the details:- account number, IFSC		
		bank and branch name etc.)		

15		incurred / investment made on the	project – as on date of commercial
	operation	Land and site dovelopment	
		Land and site development	INR
	ii	Building and construction	INR
		Installation of plant/ machinery/	INR
		apparatus etc.	
	iv	Creation of project specific	INR
		(please specify) other	
		Construction/ infrastructure/ installation	
	v	Creation of common	INR
		infrastructure i.e. road, power,	
		water and sewage	
		(if the land is provided by the	
		department)	
	vi	Any other expenditure	INR
		(please specify)	
16	Capital expenditure on which subsidy to being		INR
	claimed. This should be in accordance with the		
		nexure -1 (C.A. certificate to be	
	attached)		
17	Subsidy clair	ned	INR
18	Proof of date of commercial operation		
		y of first lodging bill:-	
		y of first catering bill:-	
	c) Copy of first bill of service/ facility		
	provided		
	d) Any other legally acceptable proof to		
	prove the date of commercial		
19		ration otographs of Unit/ Project from 03	
19	different an		
20	Detail of capital subsidy claimed/ received from		
	any other de	epartment of central Govt/ state	
	Govt for this	s project	
21	Any other in	formation, applicant feels	
	necessary to	be given for the claim	
Note	e:- 1- All docur	nents must be valid at the time of ap	oplication.
2- Al	I copies of do	cuments submitted must be self att	ested.
3- N	1adhya Prade	sh State Tourism Development Co	rporation can call for any additiona
doou	monte if roal	uirad from time to time	

documents, if required, from time to time.4- The application form should be filled completely in all respect and requisite document should be attached with the application.

#### **Declaration**

I/We ..... hereby undertake that: I/We will abide by other conditions which may be stipulated by the Ministry of Tourism, Government of India and Government of Madhya Pradesh.

I/We hereby declare that above statements and enclosed documents are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any subsidy amount granted to me/us on the basis of the statement/documents furnished is liable to withdrawn and recovered with interest/ penalty as decided by the authority as the case may be the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, if it is found that any of the statements/documents therein are incorrect or false.

> Seal and Signature (with Name, Address, Email Id and Contact Number of the authorized person)

Place:

Date :

S.N.	Documents	Remark
1	Name of the Promoters with a brief note on the business antecedents:- (in not more than 60 words)	
2	Copy of proof of legal authorized person from unit	
3	Status of Owner/ Promoter	
4	A) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	Or	
	B) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	Or	
	C) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	Or	
	D) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
5	Copy of certificate of establishment of firm/company	
6	Copies of Land Records	
	A) Ownership Documents	
	I. Certified Khasra	
	II. Site Map	
	B) Title – copy of registered sale deed or lease deed	
7	Copy of project report	
8	Certificate from HRACC (if applicable)	
9	Copy of certificate from town and country planning (TNCP)	
10	Copy of map sanctioned by the local authority (Municipal Corporation, Municipality etc.)	
11	Copy of the building permission granted by the appropriate authority.	
12	Copy of Approved floor plan	
13	Completion certificate from competent authority	
14	Total project cost certificate certified by certified Engineer/Valuer	
15	Total capital cost certificate certified by CA	
16	Debt details from concerned financial institution	
17	Proof of date of commercial operation-Photocopy of firstA) Lodging BillB) Catering BillC) Copy of first bill of service/ facility providedD) Any other legally	
	acceptable proof to prove the date of commercial operation	
18	Photographs (JPG Format not more than 500 KB Size) from 3 different angles	
19	Cancelled cheque of the firm/company	
20	Copy of PAN card	
21	Copy of Photo Id proof (Aadhaar Card/ Voter Id/ Passport etc.)	
22	Copy of vender form	
23	Other document if any	

### **Checklist of Documents**